भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

क्रमांकः 6(306)एसपी / 2014 / दिनांकः 20.06.2015

निमित्त,

श्री कानापुरी पुत्र श्री उद्दापुरी,
ग्राम बालापुरा, पोस्ट – गणवर,
तहसील – मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान – 304501

विषय : संस्थान के प्रक्षेत्र अनुभाग के अधीन विभिन्न खण्ड़ों पर चारा फसलों के उत्पादन से सम्बन्धित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध / जॉब कान्ट्रेक्ट के आधार पर सम्पन्न कराने बाबत।

महोदय,

आप द्वारा प्रस्तुत निविदा दिनांक 29.04.2015 मे प्रस्तुत दरों को सक्षम अधिकारी महोदय नें स्वीकार कर लिया है। अतः निम्नलिखित नियम व शर्तो के आधार पर कार्य आदेश जारी किया जाता हैः–

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित समय अवधि	कार्य की अनुमानित मात्रा	दर (रू0) प्रति इकाई	कुल दर सभी करों एवं खर्चो सहित
1	विभिन्न ब्लॉकों से झाडियों / सूखे पेड़ों के ठूंठों को एक से दो फुट की गहराई तक खोदकर निकालना, अन्य अंवाछनीय पदार्थो को हटाना, पेड़ों की छंगाई करना इत्यादि।	अप्रैल से जून, 2015 तक	60 हैक्टर	₹1239/- प्रति हैक्टर	₹74,340/-
2	फार्म अनुभाग के प्रत्येक सैक्टरों के कार्यालयों के आस–पास लगभग 10 मीटर चारों ओर बने रास्तों एवं सैक्टर कार्यालयों की सफाई, लॉन की देख–रेख, कटाई, पेड़–पौधों को पानी पिलाना, नर्सरी एवं सैक्टर पर सामानों की देखभाल करना तथा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित प्रक्षेत्र से पेड़ों की टहनियों की कटाई–छंगाई करना।	जुलाई 2015 से सितम्बर 2015 तक	3 माह	₹50,000/- प्रति माह	₹1,50,000/-
3	खरीफ फसल में चौंला, ग्वार, बाजरा / ज्वार, चौला / डोलीकस, मूंग / मोठ व मूगफली इत्यादि की बुआई से लेकर कटाई तक सभी प्रक्रियाएँ (जैसे – दो बार निराई–गुडाई करना, चौंला की फलियाँ एकत्रित करना, फसल कटाई, ग्वार की थ्रेसिंग करना एवं बीज व चारे के भण्ड़ारण तक का कार्य करना) जिसमें बीज की दर चारे के वजन में सम्मलित होगी। **ट्रेक्टर संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।**	चौंला / डोलीकस	300 क्विंटल	₹419/- प्रति क्विंटल	₹1,25,700/-
		ग्वार	500 क्विंटल	₹349/- प्रति क्विंटल	₹1,74,500/-
		बाजरा / ज्वार	300 क्विंटल	₹279/- प्रति क्विंटल	₹83,700/-
		मूंग / मोठ / मूंगफली	100 क्विंटल	₹195/- प्रति क्विंटल	₹19,500/-
				कुल	₹6,27,740/-

नियम व शर्ते :–

1. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने से एक वर्ष तक रहेगी, लेकिन कार्य की अवधि कम या अधिक भी की जा सकती है। यदि उक्त अवधि के दौरान अनुबन्धकर्ता द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।
2. अनुबन्धकर्ता / प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संतोषजनक नहीं होने पर संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की स्वयं की होगी। साथ ही भविष्य में कोई अनुबन्ध कार्य आवंटन नहीं किया जावेगा।
3. अनुबन्धकर्ता / प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता / गैर जिम्मेदारी / अवज्ञा की गई अथवा संस्थान की सम्पत्ति को कोई नुकसान / चौरी / क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं अनुबन्धकर्ता को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देय बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
4. काटे गये सूखे चारे में अगर किसी तरह की मिलावट (खरपतवार) प्रभारी प्र–क्षैत्र / प्रभारी, सेक्टर / गठित समिति द्वारा महसूस की जाती है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जो भी निर्णय लिया जावेगा वह अनुबन्धकर्ता को स्वीकार्य करना होगा।
5. अनुबन्धकर्ता को फसलों कि रखवाली स्वयं करनी होगी। यदि रखवाली के दौरान बाहरी जानवरों द्वारा चारे को किसी प्रकार से नुकसान होता हैं तो उस नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रस्तुत दर प्रति क्विंटल के हिसाब से देय बिल मे से औसत पैदावार के आधार पर की जावेगी। नुकसान का आकंलन प्रभारी, प्रक्षैत्र / सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा।
6. उक्त कार्य के लिये काम में आने वाले औजार व मजदूर अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाना होगा। जुताई, बुआई व ढुलाई के लिये ट्रेक्टर संस्थान द्वारा उपलब्ध करवा दिया जावेगा।
7. मानसून एवं विविध कारणें से चारा फसलों का उत्पादन एवं अन्य कार्य प्रभावित होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदरी नहीं होगी तथा संस्थान द्वारा किसी प्रकार का हर्जाना, क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
8. फसलों की कटाई प्रभारी, फार्म अनुभाग / प्रभारी सेक्टर के दिशा–निर्देशानुसार करना होगा तथा फसलों की तुलवाई धर्म कॉटे पर या निर्धारित स्थान भेड़ सेक्टरों पर गठित समिति द्वारा किया जावेगा एवं चारे को चारा डिपों में ठीक तरह से जमाना होगा।

9. कृषि से सम्बन्धित सभी कार्ये प्रभारी फार्म अनुभाग या उनके प्रतिनिधि के दिशा–निर्देशानुसार करना होगा एवं खेती के लिए खेत का निर्धारण प्रभारी प्र–क्षैत्र/प्रभारी, सेक्टर के अनुसार होगा।
10. उपरोक्त सभी कार्यों की पूर्णता तभी मान्य होगी जब प्रभारी, प्रक्षेत्र व उनके प्रतिनिधि द्वारा कार्य सन्तोषजनक पूर्णता करने का प्रमाणित करेगे उसके बाद ही भुगतान किया जावेगा यदि कार्य दिये गये माप दण्डों के अनुसार पूर्ण नही किया गया तो किये गये कार्य की मात्रा के अनुसार भूगतान किया जावेगा।
11. कार्य का भुगतान अनुबन्धकर्ता द्वारा बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर निश्चित समयावधि 30–45 दिन में कर दिया जावेगा।
12. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं अनुबन्धकर्ता को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPF/PF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो अनुबन्धकर्ता द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण अनुबन्धकर्ता स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
13. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार अनुबन्धकर्ता के देय मासिक बिल में से नियमानुसार सेवाकर/आयकर (Service Tax/Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।
14. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
15. अनुबन्धकर्ता द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र स्वयं बनाकर फोटोयुक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर फार्म अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं अनुबन्धकर्ता को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो पहचान–पत्र आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
16. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर अनुबन्धकर्ता/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी।
17. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त नियमानुसार वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
18. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख अनुबन्धकर्ता को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
19. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान अथवा उनके द्वारा नियुक्त आर्बीट्रेटर को होगा, जो दोनों पक्षों द्वारा मान्य होगा।
20. सफल अनुबन्धकर्ता को 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
21. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त अनुबन्धकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
22. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(आर.ए. साहू)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. प्रभारी, फार्म अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि सक्षम अधिकारी महोदय ने श्रम मंत्रालय के नियमानुसार नियमों की पालना करवाये जाने के लिये उक्त कार्य हेतु उन्हें नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करले कि ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाये जाने वाले प्रतिनिधियों का भुगतान प्रतिमाह नियमानुसार निर्धारित दरों पर कर दिया गया है जिसे सत्यापित करते हुये किये गये भुगतान की प्रति श्रीमान सक्षम अधिकारी को प्रतिमाह रिकार्ड हेतु भिजवावें तथा ठेकेदार द्वारा किये जा रहे रजिस्टर के संधारण (Maintain) को अपने स्तर पर हर माह प्रमाणित करें तथा ठेकेदार द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों की संख्या तथा कार्य सम्पूर्ण होने की दिनांक व कितने मानव दिवस कार्य किये गये आदि का ब्योरा तुरन्त क्रय अनुभाग को सूचित करने का श्रम करें। साथ ही यह भी निवेदन है कि ठेकेदार से शर्त क्र.सं.20 की पालना भी करवायें।
2. प्रशासनिक अनुभाग द्वितीय 3. वित्त एंव लेखा विभाग
4. प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग 5. प्रभारी, ए.के.एम.यू. को संस्थान वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु। 6. गार्ड पत्रावली

श्रीमान सक्षम अधिकारी महोदय ने उक्त कार्य की प्रशासनिक अनुमति देने के साथ–2 इस कार्य अनुबन्ध पर होने वाले कुल खर्च ₹6,27,740.00 की दिनांक 15.06.2015 को पत्रावली क्रमांकः 6(306)एसपी/2014/ के नोट सीट पेज नं0 6 पर फार्म अनुभाग को वित्तीय वर्ष 2015–16 में आंवटित होने वाले योजना बजट से वहन करने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी हैं।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी